न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

अपील संख्या 02/2019

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. लिखमाराम जाति जाट निवासी हमीरवास (बजावा) तहसील व जिला झुंझुनू।
2. रोशनलाल पुत्र स्व. श्योनारायण जाति जाट निवासी हमीरवास (बजावा) तहसील व जिला झुंझुनू।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. बुद्धराम जाति जाट निवासी हमीरवास (बजावा) तहसील व जिला झुंझुनू।
4. राजवीर पुत्र स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी हमीरवास (बजावा) तहसील व जिला झुंझुनू।

–– अपीलान्टस

बनाम

1. हरि सिंह पुत्र नारायण जाति जाट निवासी लाम्बा हाल निवासी हमीरवास (बजावा) तहसील व जिला झुंझुनू।
2. परवेश पुत्र स्व. जगदीश जाति जाट निवासी लाम्बा हाल निवासी हमीरवास (बजावा) तहसील व जिला झुंझुनू।
3. अनिल कुमार पुत्र स्व. जगदीश जाति जाट निवासी लाम्बा हाल निवासी हमीरवास (बजावा) तहसील व जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्टस

– – –

अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 26.11.2018 उनवानी महावीर प्रसाद वगैरह बनाम हरिसिहं वगैरह वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्त. अधि. 1955 मु.न. 1/2017 न्यायालय तहसीलदार झुंझुनू।

– – –

उपस्थित :–

1. श्री विजयपाल एडवोकेट :– अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री महिपाल सिहं कपूरिया एडवोकेट :– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.08.2019

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 26.11.2018 मु0न0 01/2017 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस

जिला कलक्टर झुन्झुनू

सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट् के अनुसार निम्नानुसार है :– अपीलान्ट खेत खसरा नम्बर 338 व 222 में नया रास्ता कायम नहीं करवाना चाह रहे है बल्कि प्रचलित रास्ते से अवरोध हटवाकर उसे चालू करवाना चाह रहे थे। रेस्पोडेन्टस ने नजरी नक्शा में दर्शित ए से बी रास्ते को परिवर्तित कर सीमा के सहारे सहारे कर दिया और रास्ते की चौड़ाई कम कर दी। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट द्वारा बदले हुये रास्ते को खोलने के आदेश पारित कर कानूनी गलती की है। अदालत मातहत को प्रचलित रास्ते को खुलवाना चाहिये था। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.09.2017 से हटकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया है। रेस्पोडेन्टस के खेत खसरा नम्बर 338 व 222 में से गुजरने वाला रास्ता आगे खेत खसरा नम्बर 219, 227, 48 में से होता हुआ आगे अन्य खेतों में जाता है। खेत खसरा नम्बर 338 व 222 की तरह तमाम काश्तकार उपरोक्त मौजुदा रास्ते को खेतों की सीमा के सहारे सहारे परिवर्तित कर देंगे तो काश्तकारों के समय व धन की भारी बर्बादी होगी। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधानों का हवाला दिया है जो गलत है। प्रकरण में धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलान्टस ने अपनी प्लीडिंग के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनका खण्डन रेस्पोडेन्टस की तरफ से नहीं हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.09.2017 का खण्डन/ऐतराज रेस्पोडेन्टस की तरफ से नहीं किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह बखूबी साबित है कि रेस्पोडेन्टस ने खेत खसरा नम्बर 338 व 222 में प्रचलित रास्ते को सीमा के सहारे सहारे कर उसकी चौड़ाई कम कर अवरोध कारित किया है। ऐसी सुरत में अदालत मातहत को अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिये था जो नहीं कर कानूनी गलती की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2018 को अपास्त किया जाकर अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित बिन्दु ए से बी रास्ते में रेस्पोडेन्टस द्वारा किये गये अवरोध हटवाकर बिन्दु ए से बी रास्ता को पशुधन, उंटगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने योग्य चालू करवाये जाने का आदेश दिया जावें।

दौरानें सुनवाई वकील रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 आर 27 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया। वकील अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान नजीर 2006(3) डी.एन.जे पेज संख्या 1402 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील मे वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 22.09.2017 से हट कर आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी रिपोर्ट में साफ अंकित है कि पूर्व में पगडन्डी बिन्दु ए, बी, सी, डी, ई, एफ चलती थी बाद में खसरा नम्बर 338 व 222 में तारबन्दी कर बिन्दु जी, बी, एच, सी पर डाल दिया गया है तथा आगे की पगडन्डी पूर्व की भांति ही चल रही है। उक्त रिपोर्ट से साफ जाहिर है की अपीलान्टस द्वारा अदालत मातहत के समक्ष नये रास्ते की मांग न की जाकर पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने की मांग की है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी काश्त के खेत खसरा नम्बर 338 के तारबन्दी कर उसमें गुजरने वाले रास्ते का स्थान बदल कर संकड़ा कर दिया जबकि सही स्थिति

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

यह है कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरिसिंह की खातेदारी उक्त खेत खसरा नम्बर 338 की भूमि से मौके पर कोई रास्ता ए से बी रास्ता कभी नहीं रहा है। क्योंकि ऐसा कोई रास्ता होता तो नक्शा किश्तवार में उसका अंकन होता जबकि नक्शा किश्तवार में उक्त किसी प्रकार के रास्ते का कोई अंकन नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 338 मौजा हमीरवास बजावा की पुर्वी सीमा के सटकर दक्षिण से उतरी दिशा में आम कटानी रास्ता गुजरता है जिसका अंकन नक्शा किश्तवार में दर्ज है व उक्त आम कटानी रास्ता गुजरता है जिसका अंकन नक्शा किश्तवार में दर्ज है व उक्त आम कटानी रास्ते से होकर ही अपीलार्थीगण अपने खेतों को आवागमन करते है। अपीलार्थीगण योग्य अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य काबिले विश्वास व गौर नहीं आयी है जिससे यह माना जा सके की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरिसिहं के उक्त खसरा नम्बर 338 मौजा हमीरवास बजावा से कोई ए से बी रास्ता गुजरता हो। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली , दस्तावेजों, रिकार्ड मातहत व तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2018 का अवलोकन एवं मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शित खसरा नम्बर 338 एवं 222 में से बिन्दु ए से बी स्थान के मध्य प्रचलित रास्ता में अवरोध हटाना चाहा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जबाब में उक्त रास्ता स्वीकार नहीं कर नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु सी से डी स्थान से रास्ता बताया है। प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.09.2017 से अपीलान्ट के कथनों की ताईद होती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम हमीरवास बजावा स्थित खेत खसरा नम्बर 338 व 222 में प्रचलित रास्ते को बदल कर खेतों की सींव के सहारे से डाला गया है तथा आगे रास्ता पूर्व की भांति सुचारू रूप से चालू है। नये कायम किये गये रास्ते की चौड़ाई भी कम बताई गई है। उक्त बिन्दु के संबंध में अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये जिनका खण्डन रेस्पोडेन्टस ने नहीं किया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजर अंदाज किया है तथा साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट का ऐतराज रेस्पोडेन्टस द्वारा भी अदालत मातहत के समक्ष पेश नहीं किया गया।

इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि प्रचलित रास्ते को रेस्पोडेन्टस ने सीमा के सहारे से डालकर प्रचलित रास्ते को बन्द कर अवरोध कर अपीलान्टस के सुखाधिकार में बाधा कारित की है। प्रत्येक काश्तकार यदि प्रचलित रास्तो को सीमा के सहारे डाल देगें तो रास्तो की लम्बाई अत्यधिक बढ़ जावेगीं जिससे काश्तकारों के समय व धन की बरबादी होगी। रेस्पोडेन्टस ने जिस तरीके से प्रचलित रास्ते को सीमा के सहारे डालकर तंग तारबन्दी करके किया है उसी तरह से आगे के खेतों के काश्तकार रास्ते को बदलकर सीमाओं के सहारे डाल देंगे तो काश्तकारों के खेतों में पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जावेगा। कानून से प्रचलित रास्तों को किसी काश्तकार के फायदे के लिये व अन्य काश्तकारों को परेशान करने के लिए परिवर्तित करने की इजाजत न्यायलय की दृष्टि में उचित नहीं है। प्रकरण में जहां तक सवाल धारा 251 आरटीएक्ट और 251(क) का है तो अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष नये रास्ते की मांग नहीं की गई है बल्कि पूर्व में प्रचलित रास्ते में हुये अवरोध को हटवाने की मांग की है जो धारा 251 आरटीएक्ट के तहत आता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे के अनुसार "विभिन्न कृषकों के खेतों से होकर जाने वाले रास्तो का उपयोग वाद पत्र में स्पष्ट कथन कि न केवल पशुओं बल्कि बैलगाड़ी एवं ट्रेक्टर रास्ते से जाने का अधिकार है। कृषि भूमि के लिए रास्ता केवल 3 फीट की छोटी चौड़ाई का नहीं हो सकता, जिसमें ट्रेक्टर प्रवेश न कर सकें" इस प्रकार इस निर्णय से यह साबित है कि काश्तकारों को खेत में जाने के लिए इतनी चौड़ाई का रास्ता होना आवश्यक है जिससे वह बैलगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि आराम से आ–जा सकें। उक्त नजीर प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2018 को निरस्त किया जाता है तथा

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

तहसीलदार झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए 1995 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी के मध्य खेत खसरा नम्बर 338 व 222 सरहद मौजा हमीरवास बजावा तहसील झुंझुनू में रेस्पोडेन्टस द्वारा किये गये अवरोध हटवाकर उक्त प्रचलित रास्ते को पशुधन, उंटगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने योग्य चालू करवायें। मिसल मातहत अदालत मय आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुन्झुनू